न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रेक इटावा जिला कोटा राज०

अज अदालत सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रेक इटावा जिला कोटा
पीठासीन अधिकारी– हेमन्त कुमार घनघोर आर0ए0एस0

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
35 / 2024	13 / 08 / 2024	06.01.2026

1. इन्द्रा बाई पत्नि श्री महावीर जाति महाजन निवासी अयाना तह० पीपल्दा जिला कोटा हाल निवासी श्रीराम नगर कोलोनी तेल फेक्ट्री बारां जिला बारां राज०
2. अभिषेक नाबा० पुत्र श्री महावीर जर्ये वली माता इन्द्रा बाई पत्नि श्री महावीर जाति महाजन निवासी अयाना तह० पीपल्दा जिला कोटा हाल निवासी श्रीराम नगर कोलोनी तेल फेक्ट्री बारां जिला बारां राज०

प्रार्थीगण

बनाम

1. महावीर पुत्र श्री बद्रीलाल
2. घनश्याम पुत्र श्री बद्रीलाल
3. जगदीश पुत्र श्री बद्रीलाल
4. राधेश्याम पुत्र श्री बद्रीलाल
5. सन्तोष पुत्री श्री बद्रीलाल जातियान महाजन निवासीगण अयाना तह० पीपल्दा जिला कोटा राज०
6. राजस्थान सरकार जर्ये श्रीमान तहसीलदार महोदय पीपल्दा तह० पीपल्दा जिला कोटा राज०

अप्रार्थीगण

प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित अधिवक्ताः– श्री गिरिराजा कुशवाहा एड0।
अप्रार्थीकम 2 ता 4 की ओर से उपस्थित अधिवक्ताः– श्री कमल कुमार बंसल एड0।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट

निर्णय

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम अयाना पटवार हल्का अयाना तह० पीपल्दा जिला कोटा में आराजी खसरा नं. 1998 रकबा 3.85 हैक्टर, खसरा नं. 2106 रकबा 4.54 हैक्टर, कुल 2 किता कुल रकबा 8.39 हैक्टर कृषि भूमि स्थित हैं। जिसे आगे प्रार्थना पत्र में विवादित कृषि भूमि से सम्बोधित किया गया है। प्रार्थना पत्र में वर्णित विवादित कृषि भूमि के खातेदार अप्रार्थी 1 ता 5 है। जिसमें प्रत्येक खातेदार का 1/5, 1/5 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। सभी खातेदारान अपने अपने हिस्से पर काबिज काश्त चले आ रहे है। प्रार्थीया कम 1 अप्रार्थी कम 1 की पत्नि है अप्रार्थीया कम 1 ने प्रार्थीया कम 1 से नाता विवाह किया था तथा प्रार्थी कम 2, अप्रार्थी कम 1 का पुत्र है। जो कि महावीर अप्रार्थी कम 1 के हिस्से 1/5 हिस्से की कृषि की भूमि पर काबिज काश्त चले आ रहे हैं। विवादित कृषि भूमि अप्रार्थी कम 1 की स्वअर्जित सम्पति नहीं है। विवादित कृषि भूमि पुश्तैनी पैतृक सम्पति है। जो कि अप्रार्थी कम 1 को उसके पिता बद्रीलाल जी से प्राप्त हुई है। इसलिए अप्रार्थी कम 1 के 1/5 हिस्से की कृषि भूमि पर प्रार्थीगण को अधिकार प्राप्त है। प्रार्थीया कम 1 का पति व प्रार्थी कम 2 का पिता सन 2015 से लापता है। अप्रार्थी कम 1 के 1/5 हिस्से की कृषि भूमि पर प्रार्थीगण काबिज काश्त है। वर्तमान में प्रार्थीया कम 1 बारां में निवास करती है। जो झाडु पोचा सफाई का कार्य करती हैं और बच्चे को पालती है। और समय पर अयाना में खेती व मकान को संभालने आती जाती रहती है। प्रार्थीगण जब भी ग्राम अयाना में आते हैं तो अप्रार्थी कम 1 ता 5 प्रार्थीगण के साथ मारपीट करते हैं और प्रार्थी कम 2 को मारने की धमकी देते हैं, गाली गलौच करते हैं, और कहते हैं कि तेरा पति तो लापता हो गया हैं। तुम घर पर क्यों आती हो। अप्रार्थी कम 1 के 1/5 हिस्से की कृषि भूमि को काश्त करने में बाधा उत्पन्न करते है। जबकि प्रार्थीगण मौके पर 2/15 हिस्से पर काबिज काश्त हैं और विवादित कृषि भूमि पैतृक सम्पति है। अप्रार्थी कम 1 की स्वअर्जित सम्पति नहीं है। इसलिए अप्रार्थी कम 1 के 1/5 हिस्से की कृषि भूमि में प्रार्थीगण 2/15 हिस्से

उपखण्ड अधिकारी
इटावा

पर राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाकर खातेदार घोषित करवाने के अधिकारी है। दिनांक 25.07.2024 को अप्रार्थी 1 ता 5 ने ग्राम अयाना में प्रार्थीगण को धमकी दी कि आयन्दा खेत पर गये तो तुम्हारे साथ मारपीट करेगें, और ग्राम अयाना के मकान में भी तुम्हें नहीं रहने देगें इसलिए प्रार्थीगण, अप्रार्थी 1 ता 5 के विरूद्ध 2/15 हिस्से पर अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है। प्रार्थीगण का पृथम दृष्टया केस हैं तथा सुविधा का सतुंलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में हैं। यदि प्रार्थीगण के पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी जिसका कि मुद्रा में मूल्याकन किया जाना संभव नहीं होगा। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण के पक्ष में अप्रार्थीगण के विरूद्ध ता फैसला मूल वाद अस्थायी निषेधाज्ञा इस आशय की जारी कि जावे कि अप्रार्थी क्रम 1 ता 5 के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वाके ग्राम अयाना खसरा नं. 1998 रकबा 3.85 है०, खसरा नं. 2106 रकबा 4.54 है०, कुल किता 2 कुल रकबा 8.39 हैक्टर कृषि भूमि में 2/15 हिस्से पर प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करे और सक्षम न्यायालय के आदेश के बिना प्रार्थीगण को बेदखल नहीं करे तथा अप्रार्थी क्रम 1 विवादित कृषि भूमि को रहन, बैचान, वसीयत आदि से हस्तान्तरण नहीं करे। ऐसा कार्य न तो स्वयं करे और न ही अपने प्रतिनिधि से करावे।

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र श्री गिरिराज कुशवाहा एड0 ने पेश किया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजि0 किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जर्ये सम्मन की गई। अप्रार्थीक्रम 1 व 5 के विरूद्ध बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी क्रम 2 ता 4 की ओर से वकालतनामा श्री कमल कुमार बंसल एड0 ने पेश किया। अप्रार्थी क्रम 2 ता 4 ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण, अप्रार्थी क्रम 1 के पुत्र व पत्नि नहीं है। प्रार्थीगण, का अप्रार्थी क्रम 1 व अन्य अप्रार्थीगण से कोई सबन्ध नही है। प्रार्थीगण द्वारा बेईमानी से अप्रार्थी क्रम 1 की भूमि को हडपने के दुराशय से हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। जो कि खारिज किया जाने योग्य है। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में सर्वथा विरोधाभाषी कथन किये गये है। प्रार्थना पत्र मे अप्रार्थी क्रम 1 का लापता होना अभिलिखित है। जबकि प्रार्थना पत्र शीर्षक में उसका पता अयाना लिखा गया है। प्रार्थना पत्र के अनुसार अप्रार्थी क्रम 1 यदि वर्ष 2015 से लापता है तो सक्षम सिविल न्यायालय से उसकी मृत्यु की घोषणा करवाई जाना कानूनन आवश्यक है। अप्रार्थी क्रम 1 को तलब किये/समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना विवादित भूमि मे के अप्रार्थी क्रम 1 के हिस्से की भूमि बाबत् कोई न्यायनिर्णयन नही किया जा सकता है। इसलिए प्रार्थना पत्र के अभिवचन परस्पर विनष्ट करने वाले होने के कारण प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। सम्पूर्ण विवादित भूमि अप्रार्थी क्रम 1 की पैतृक सम्पति नही है। क्योकि उसे विवादित सम्पति नन्दुबाई के मरने के बाद प्राप्त हुई है। कानूनन पिता से प्राप्त सहदायिक सम्पति ही पैतृक सम्पति होती है। अन्य कोई सम्पति नही। इसलिए प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थीक्रम 1 अप्रार्थी क्रम 1 के नाता पत्नि तथा पुत्र नही है। इसलिए प्रतिवादी क्रम 1 के खाते व हिस्से की भूमि में प्रार्थी का कोई हक नही बनता है प्रार्थी का विवादित आराजी मे कोई कब्जा नहीं है। विवादित आराजी मे प्रतिवादी क्रम 1 के हिस्से व कब्जे की आराजी मे प्रार्थीगण का कोई कब्जा व अधिकार नही है। इसलिए प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थी द्वारा सरासर फर्जी तथा कूटरचित आधारो पर प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। जिसके आधार पर प्रार्थी के हक मे विवादित आराजी बाबत कोई हक, अधिकार पैदा नही होते है। प्रार्थी द्वारा बिना किसी कानूनी हक, अधिकार के प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। जो खारिज किये जाने योग्य है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी, खारिज फरमाने की कृपा करे।

उभयपक्ष बहस सुनी गई प्रार्थी अधिवक्ता के बहस में कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 महावीर 2015 से लापता है जिससे प्रार्थी का नाता विवाह हुआ था तथा प्रार्थी 1 व अप्रार्थी 1 के युग्म से प्रार्थी क्रम 2 अभिषेक उत्पन्न हुआ राजस्व अभिलेख में ग्राम अयाना पटवार हल्का अयाना तहसील पीपल्दा स्थित खसरा नंबर 1998 रकबा 3.85

उपखण्ड अधिकारी
इटावा

हेक्टेयर खसरा नंबर 2106 रकबा 4.54 हेक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 8.39 हेक्टर है भूमि में अप्रार्थी कम 1 का 1/5 हिस्सा दर्ज है। चूंकि अप्रार्थी कम 1 जो की प्रार्थी का पति है लापता है अप्रार्थी कम 2, 3, 4, व 5 विवादित भूमि को खुर्द–बुर्द करने पर अमादा है। यदि वे ऐसा करने में सफल हो गए तो प्रार्थी को उसके सांम्पत्ति अधिकारों से वंचित होना पड़ेगा या वादों की बहुलता व जटिलता में उलझना पड़ेगा ऐसे में प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी। अतः विवादित भूमि पर अप्रार्थी के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे। विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी कम 2,3,4 ने बहस में कथन किया कि अपराधी कम 1 लापता 2015 से है तथा ऐसे में अप्रार्थी को समुचित सुनीई का अवसर नहीं दिया गया तथा लापता व्यक्ति में समय कैसे तामिल हुए। बिना अवसर दिए अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। धारा 107 व 108 Evidence Act के अनुसार यदि कोई व्यक्ति 7 वर्ष से अधिक लापता है तो मृत माना जाता है इसकी डिक्री सिविल न्यायालय से प्राप्त नहीं की गई है जो की कानूनन आवश्यक है अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। उभयपक्ष बहस पर गंभीरता पूर्वक मनन किया तथा दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। उभयपक्ष की इस बात पर सहमति है कि अप्रार्थी कम 1, 2015 से लापता है तथा उसका राजस्व अभिलेख में विवादित भूमि में 1/5 हिस्सा है प्रार्थी ने अप्रार्थी कम 1 के नाता पत्नी व पुत्र होना कथन किया है जिसे अप्रार्थी कम 2,3,4 ने खंडन किया है हालांकि राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार या श्रवणाधिकार में विवाह, विवाह विच्छेद, भरण–पोषण, गोद लेना, गोद देना, विवाह को वैध या अवैध घोषित करने संबंधी अनुतोष प्रदान करना स्पष्ट रूप से वर्जित है परंतु केवल कथनों के आधार पर किसी भी पक्ष का तर्क स्वीकार नहीं किया जा सकता। प्रार्थी द्वारा पेश किए गए दस्तावेजों जैसे विवाह का इकरारनामा, अभिषेक का जन्म प्रमाण पत्र जो कि राजकीय चिकित्सालय बारां से जारी है पैन कार्ड ,आधार कार्ड इत्यादि की अवलोकन से प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में जाता है हालांकि इन दस्तावेजों की Evidentiary value (साक्ष्यीय मूल्य) के बारे में प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती परंतु इनका भार अप्रार्थी के केवल लिखित/भौतिक अभिकथन की तुलना में कही अधिक है जिसे न्यायालय को प्रार्थी के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला infer/comprehend करने में कोई शंका नहीं है। पैन कार्ड तथा आधार कार्ड क्रमशः कर दाता के रूप में पहचान तथा सामान्य पहचान संबंधी दस्तावेज है जिनसे अभिषेक के पिता की पहचान अप्रार्थी कम 1 के रूप में होती है यहां पुनः यह कथन करना समीचीन है कि न्यायालय किसी व्यक्ति को किसी अन्य को गोद पुत्र घोषित करने में सक्षम नही है परंतु प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पहचान संबंधी दस्तावेज को सिरे से खारिज या अस्वीकार नहीं किया जा सकता है यहां पर भी उल्लेखनीय है कि न्यायालय को केवल प्रथम दृष्टया मामलें की पुष्टि हुई है जिसे मूल दावे में साक्ष्य लेखबद्ध कर निर्णित किया जाएगा। प्रथम दृष्टया मामला तथा प्रथम दृष्टया शीर्षक एक दूसरे से भिन्न तथा पर्याप्त रूप से विभेदनीय होने चाहिए। विवाह नाता विवाह होने संबंधी कथन प्रार्थी ने किया है लेकिन पुनः विवाह की वैधता का प्रश्न प्रार्थना पत्र के निर्णय के स्तर पर विचारणीय नहीं है विवाह के वैधता के विवेचन से ज्यादा महत्वपूर्ण प्रार्थी कम 2 तथा अप्रार्थी कम 1 के मध्य विद्यमान संबंध है राजकीय चिकित्सालय बारां द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र दिनांक 25.03.2017 के संबंध में अप्रार्थी कम 2,3,4 का कोई स्वीकार योग्य आपत्ति या खण्ड़न दर्ज नहीं होने से प्रकरण में सुदृढ़ प्रथम दृष्टया मामला प्रतीत होता है उच्चतम न्यायालय ने कई मामलों में शादी के पंजीयन संबंधी कठोरताओं की औपचारिकताओं में शिथिलता देते हुए कहा कि "Long cohabitation and community Acceptance can create a presumption of marriage" नाता प्रथम विभिन्न समुदायों में अलग–अलग स्वरूप में प्रचलित है। यह कई समुदायों के पारंपरिक रीति–रिवाज में नाता विवाह गवाहों और वरिष्ठों की उपस्थिति में होने से स्वीकार्य मानी जाती है प्रार्थी एवं अप्रार्थी के समुदाय में नाता विवाह की स्वीकार्यता साक्ष्य के दौरान लेखबद्ध किया जा सकेगा। इस संबंध में धारा 7(1) हिंदू विवाह अधिनियम 1955

उपखण्ड अधिकारी
इटावा

अवलोकनीय है "A Hindu marriage may be Solemnized in accordance with the customary rites and ceremony of either party there to" दूसरा विषय यहां अप्रार्थी कम 1 की तामिल का है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 108 के अनुसार व्यक्ति के 7 वर्ष से अधिक लापता होने पर केवल "Judicial determination" के पश्चात ही सीमित उद्देश्यों के लिए उसे मृत माना जा सकता है अतः ऐसी कोई डिक्री वाद में नहीं होने से अप्रार्थी कम 1 को कानून की दृष्टि में जीवित होना ही समझा जाएगा। विधि की दृष्टि में जीवित व्यक्ति अप्रार्थी कम 1 की भले ही तामिल नहीं हुई हो, प्रार्थी 1 व 2 के प्रथम दृष्टया उनके संबंध प्रतीत होने के कारण व प्रार्थना पत्र के माध्यम से अनुतोष प्राप्त करने के लिए eligible माने जा सकते हैं। अतः अप्रार्थी कम 1 की तामिल का बिंदु गौण हो जाता है क्योंकि प्रार्थी ने स्वयं के potential national share तक अनुतोष मांगा है न कि प्रार्थी के संपूर्ण हिस्से पर। यदि प्रार्थी द्वारा संपूर्ण 1/5 हिस्से पर अस्थाई निषेधाज्ञा चाहिए गई होती तो अप्रार्थी का पक्ष सुनना अनिवार्य होता। चुंकि प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में होना न्यायालय को समाधान हो चुका है इसलिए प्रार्थी को अप्रार्थी कम 1 के हिस्से में से स्वयं national share की गणना और उतने हिस्से तक खुद–बुर्द नहीं होने संबंधी अनुतोष प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है इसके अतिरिक्त अप्रार्थी कम 1 तथा प्रार्थी कम 1 के विवाह की वैधता या अवैधता के विषय को हटा भी दे तो भी किसी भी प्रकार जायज या नाजायज रिश्ते से उत्पन्न हुई संतान को सम्पत्ति में अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता है। प्रकरण में विवादित भूमि पेतृक है या स्वअर्जित इसका निर्धारण दावे में विचारण उपरांत ही किया जा सकेगा। वाद के चलने के दौरान विवादित भूमि के अंतरण रहन, दान, बैचान, वसीयत इत्यादि से खुर्द–बुर्द होने की संभावना है। यदि ऐसा होता है तो प्रार्थी को अपूर्णीयक्षति कारित होती। प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने से अप्रार्थी को उतनी असुविधा होना संभावित नहीं है जितनी अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने से प्रार्थी को होगी। मूल खातेदार अप्रार्थी कम 1 के हिस्से की भूमि में अन्य पक्षकारों को कब्जा हस्तांतरण किया जा सकता है या अन्य अंतरण भी किया जा सकते हैं जिनसे नये पक्षकारों की संख्या में वृद्धि से जटिलता उत्पन्न होगी तथा वादों की बहुलता में भी उलझना पड़ सकता है इसलिए सुविधा संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है यहां यह तर्क पोषणीय नहीं है कि रिकॉर्डेड खातेदार के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती क्योंकि प्रार्थी के पक्ष में प्रबल प्रथम दृष्टया मामला है तथा मूल दावे के विचारण के दौरान संपत्ति का स्वरूप राजस्व रिकॉर्ड और मौके पर बदलने की पूर्ण संभावना है इस प्रकार प्रबल प्रथम दृष्टया मामला होने, अपूर्णीय क्षति कारित होने एवं सुविधा संतुलन प्राप्ति के पक्ष में होने के कारण प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार करने योग्य है अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम अयाना पटवार हल्का अयाना तह0 पीपल्दा में स्थित खसरा नंबर 1998 रकबा 3.85 है0 ख0न0 2106 रकबा 4.54 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 8.39 है0 कृषि भूमि पर अप्रार्थीगण के विरुद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि वे विवादित भूमि के 2/15 हिस्से पर रिकॉर्ड की यथा स्थिति बनाए रखें तथा रहन, बैचान, वसीयत, दान इत्यादि से हस्तातंरण नहीं करें, न हीं अपने प्रतिनिधि से कराये। यह अस्थाई निषेधाज्ञा मूल वाद के अंतिम निस्तारण तक प्रभावी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
फास्ट-ट्रेक इटावा